राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।

क्रमांक एफ–4/मु./याता/लेखा(08)/16/135 दिनांकः 28-3-2016

कार्यालय–आदेश

निगम बसों में यात्री भार में वृद्धि के उद्धेश्य से विभिन्न मार्गो पर संचालित मंजिली वाहनों (Stage Carriage) में दैनिक यात्रा (आना–जाना) करने वाले यात्रियों को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यालय आदेश संख्या एफ–4/मु0/याता/लेखा(08)/2012/1227 दिनांक 31.12.12 से मासिक पास की नई योजना लागू की गई थी जिसे कार्यालय आदेश क्रमांक एफ–4/मु./याता/लेखा (08)/15/ 874 दिनांक 15.01.15 द्वारा दिनांक 31.03.16 तक वृद्धिकृत किया गया था। मासिक यात्रा पास की वर्तमान व्यवस्था को आगामी तीन माह दिनांक 30.06.16 तक और वृद्धिकृत किया जाता है। मासिक यात्रा पास जारी करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया तथा शेष नियम व शर्ते पूर्ववत/यथावत रहेगी।

यह आदेश माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से जारी किए जा रहे है ।

(राकेश राजोरिया)
कार्यकारी निदेशक (यातायात)

क्रमांक .एफ–4/मु./याता/लेखा(08)/16/135 दिनांकः 28-3-16
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, राज0परि0निगम, मुख्यालय, जयपुर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष ....राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर ।
3. महा प्रबन्धक/संयुक्त/उप महा प्रबन्धक..................राज.परि.निगम.मुख्यालय.जयपुर ।
4. कार्यकारी प्रबंधक (निरीक्षण/याता.) राजस्थान परिवहन निगम. मुख्यालय, जयपुर।
5. उप महा प्रबंधक (आई.टी) रा.प.नि, को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश को निगम वेव साईट पर उपलब्ध कराने एवं सभी संबंधितों को ई–मेल की व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा वर्तमान व्यवस्था को दि. 30.06.16 तक प्रभावी किया जावें। वर्तमान व्यवस्था में आवश्यक सुधारात्मक उपाय भी किया जावे।
6. कार्यकारी प्रबन्धक (जनसम्पर्क) राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर।
7. लेखाधिकारी (बजट) राज0 परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।
8. मुख्य प्रबंधक, राज.परि.निगम ....आगार को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि मासिक यात्रा पास व्यवस्था का व्यापक प्रचार–प्रसार करें एवं राजस्व वृद्धि हेतु सार्थक प्रयास करें।
9. आदेश पत्रावली।

(नरेन्द्र सिंह चौधरी) 28/3/16
उप महा प्रबंधक (यातायात)